

—:: न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) ::—

प्रकरण क्रमांक

04/अ-19(3)/2021-22



मो.बडोदिया तहसील के ग्राम मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु राजस्व भूमि हस्तांतरण बाबत।

आदेश

(दिनांक 02/07/2021 को पारित)

1- प्रकरण का विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा अवगत कराया कि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग रकबा 150 हेक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित की जाना प्रस्तावित है, जिसके व्यपवर्तन के प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन को प्रेषित किये जाना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रस्ताव हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना है। वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा नवीन प्रावधानों के तहत प्रारूप एक भरकर प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की मांग की गई। नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे क्रमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से) , 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०, (2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे क्रमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु , 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु , 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु, 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे० , 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे क्रमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ. , 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गौ. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गौ. , 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे०

कलेक्टर
जिला शाजापुर (म.प्र.)



भूमि , ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे कमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेक्टेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जांच प्रतिवेदन प्रारूप 2 इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-19(3) में दर्ज किया जाकर म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र कमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 में निहित नवीन प्रावधानों के तहत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 02.07.2021 को आयोजित की गई।

3- जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा बैठक में नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे कमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से) , 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०, (2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे कमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु. , 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु. , 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु. 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु. 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे० , 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे कमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ. , 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गो. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गो. , 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे० भूमि , ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे कमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेक्टेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग

10

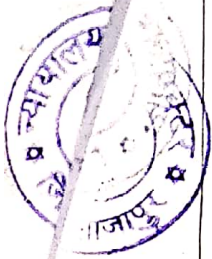
कलक्टर
जिला शाजापुर (म.प्र.)

को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया। नजूल अधिकारी जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम फावका, मांगलिया, कड़ूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत सुरक्षित रहेगा।

4- अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी-जिला नजूल निर्वर्तन समिति की स्वीकृति उपरांत आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग 150 हेक्टर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण के लिये जिसे प्रकरण में शामिल नजरी नक्शा में लालस्याही से चिन्हित करके दर्शाया गया है, को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत उसकी वर्तमान मद से कम किया जाकर (नाला भूमि का मद परिवर्तन किये बिना) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 17 के तहत निम्नानुसार निःशुल्क निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है :-

स. क्र.	ग्राम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (रकबा हेक्टर में)	मद	मौके की स्थिति	हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टर में)
01	मांगलिया	72	5.96	बडी	रिक्त	5.96
		73	7.77	बडी	रिक्त	7.77
		40/3	2.00	बडी	रिक्त	2.00
		182	6.15	गै.मु.ब डी	रिक्त	6.15
		220	6.58	बडी	रिक्त	6.58
		285/4	2.05	गै.मु.ब डी	रिक्त	2.05
		736/4	2.25	बडी	रिक्त	2.25
		239	14.00	बडी	रिक्त	12.00
कुल रकबा						44.76
02	फावका	816/1	0.63	गै.मु	रिक्त	0.63
		816/2	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/3	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/4	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/5	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/6	1.26	च.गै.मु	रिक्त	1.26
		816/7	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/8	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/9	0.70	च.गै.मु	रिक्त	0.70
		816/10	1.47	च.गै.मु	रिक्त	1.47

10
कलेक्टर
जिला मन्दासूर (म.प्र.)



		816/1 1	1.69	च.गै.मु	रिक्त	1.69
		816/1 2	1.49	च.गै.मु	रिक्त	1.49
		816/1 3	1.20	च.गै.मु	रिक्त	1.20
		816/1 4	0.49	च.गै.मु	रिक्त	0.49
		816/1 5	1.64	च.गै.मु	रिक्त	1.64
		816/1 6	1.20	च.गै.मु	रिक्त	1.20
		816/1 7	0.63	च.गै.मु	रिक्त	0.63
		816/1 8	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/1 9	23.96	गो.गै.मु	रिक्त	12.00
		816/8 22	1.14	नाला	-	1.14
कुल रकबा						39.54
03	कड़ला	2243/ 3	4.82	गो.	रिक्त	4.82
		2244	3.37	गो.गै.मु	रिक्त	3.37
		2245	5.75	गो.	रिक्त	5.75
		2246	10.50	गै.मु	रिक्त	7.50
		2247	6.04	गै.मु	रिक्त	4.04
कुल रकबा						25.48
04	माल्याहेडी	939	6.62	पहाड	रिक्त	6.62
		941	28.85	पहाड	रिक्त	6.82
कुल रकबा						13.44
05	बाण्डाहेडी	103	11.11	उसर गै.मु.	रिक्त	11.11
		313	13.89	उसर	रिक्त	13.89
		435	7.35	कृ.	रिक्त	3.00
कुल रकबा						28.00
हस्तांतरित कुल रकबा						151.22

शर्त:-

1. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
2. विभाग को भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रबंधन संबंधी गतिविधि प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।

कलेक्टर
जिला राजपुर (म.प्र.)



3. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
4. हस्तांतरित की गई भूमि पूर्णतः शासन के स्वामित्व की रहेगी।
5. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है अथवा हस्तांतरित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाता है या हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग को अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने आधिपत्य में ली जावेगी।
6. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करना होगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5- तहसीलदार मो.बडोदिया आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की पृविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा वन विभाग को हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंप कर, कब्जा रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।

यह आदेश आज दिनांक 02/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(दिनेश जैन)

कलेक्टर

जिला शाजापुर(म0प्र0)

शाजापुर दिनांक 02/07/2021

पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर-एक/2021/396

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3- वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर।
- 4- कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाजापुर।
- 6- तहसीलदार तहसील मो.बडोदिया की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है की कब्जा रिपोर्ट, अमलशुदा खसरा, नक्शा एवं कब्जा प्राप्ति रसीद सहित 07 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला शाजापुर(म0प्र0)
जिला शाजापुर (म.प्र.)